quarters have been cancelled and 634 houses got vacated after following due process of law upto 27.9.1996.

Allotment of DDA Land

2269. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Two crusaders lock horns for the same cause: Eight acres of DDA land allotted to Satish Sharma's wife" appearing in the Indian Express dated the 5th October, 1996;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The DDA has reported that a decision has been taken to permit the Kalakar Trust to use 3 acres of land in village Said-ul-Azaib on the basis of licence fee for putting up an Open Air Theatre with the condition that the ownership of land will continue with DDA. The Trust would not be entitled to allot the Theatre to any individual or organisation under any conditions.

स्व-रोजगार योजनाओं में गुजरात के साथ भेदभाव

2270. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्व-रोजगार और मजदूरी के माध्यम से शहरों में गरीबों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या इस संदर्भ में गुजरात के साथ भेदभाव किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेस्वरलू): (क) शहरी गरीबों को स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के लिए दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं नामतः नेहरू रोजगार योजना तथा प्रधान मंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाई जा रही है गुजरात के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोग (जिनकी घरेलु आय 11,850 रुपये प्रतिवर्ष हो) नेहरू रोजगार योजना के तहत लाभ पाने के हकदार हैं:

प्रधान मंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम: नवम्बर, 1995 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम में लघु उद्यम लगाकर स्वरोजगार को देना एक घटक है। योजना के स्वरोजगार घटक के तहत वे लाभार्थी लाभ पाने के पात्र हैं जो शहरी बस्तियों (1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 तक के बीच की आबादी) में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं जिन्हें घर-घर सर्वे के आधार पर पहचानकर सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1991-92 के मूल्यों के आधार पर 11850 रुपये से कम, जो उस शहर में कम से कम 3 साल से रह रहे हो और जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सहकारी बैंकों के दोषी न हों।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Contract for felling trees in Rose Garden, Hauz Khas

2871. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Horticulture Department of DDA had recently authorised a private contractor to fell 78 trees in the Rose Garden, Hauz Khas for a petty sum of Rs. 35,000/- whereas the actual worth of the cut trees is a minimum of Rs. 1.56 lakhs;